

88/050/16

1788/PSP/16

संख्या: 748 /18-2-2016-5(एस.पी.)/2015

प्रेषक,

राम निरंजन,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र०शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन,
उ०प्र० कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 9 नवम्बर, 2016

विषय: जैव ऊर्जा उत्पाद पर आधारित इकाइयों को विभागीय योजनाओं में लाभ प्रदान किये जाने
विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में अवगत कराना है कि जैव ऊर्जा उत्पाद पर आधारित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों यथा वायो डीजल उत्पादन कार्यक्रम, वायो इथैनाल कार्यक्रम, वायो गैस इथैनाल कार्यक्रम, प्रोड्यूसर गैस उत्पादन कार्यक्रम तथा सहायक कार्यक्रम जैसे- वायोकोल (पिलेट्स तथा ब्रिकेट्स) एवं अपग्रेड मोड में विद्युत उत्पादन कार्यक्रम, जिनकी लागत 25.00 लाख तक हो, को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना एवं ₹0 25.00 से 10.00 करोड़ लागत की इकाइयों को व्याज उपादान योजना के अर्न्तगत नियमानुसार लाभान्वित किया जा सकता है।

2. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया जैव ऊर्जा उत्पाद पर आधारित इकाइयों को उक्तानुसार सहायता प्रदान किये जाने हेतु समस्त उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राम निरंजन)
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : प्रमुख सचिव नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

हेतु प्रेषित।

सं०-254
16/11/16

सिम्पलित सहो

कृपया कृपया कृपया
कृपया कृपया कृपया
कृपया कृपया कृपया

आज्ञा से,

(आर० ए० सिंह)
अनु सचिव।